न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—192/2018/223 आर.टी.एक्ट (2018/00192)

1. जगदीश उम्र 58 वर्ष पुत्र श्री सोदान जाति चान्देरा (कुमावत)
2. गंगाराम उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री सोदान जाति चान्देरा (कुमावत)
3. देवीलाल उम्र 52 वर्ष पुत्र श्री सोदान जाति चान्देरा (कुमावत)
4. गोपाल उम्र 63 वर्ष पुत्र श्री रामकरण जाति चान्देरा (कुमावत)

निवासीगण मेहरूकलां तहसील सावर जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. इन्द्रा देवी पुत्री श्री काना जाति नायक निवासी बालापुरा (मेहरूकला) तहसील सावर जिला अजमेर
2. श्रीमती रामप्यारी पत्नी श्री काना जाति नायक निवासी बालापुरा तहसील सावर
3. सत्यनारायण उर्फ कजोड़ पुत्र श्री काना जाति नायक निवासी बालापुरा (मेहरूकला)तहसील सावर जिला अजमेर
4. कैलाश पुत्री काना जाति नायक निवासी बालापुरा (मेहरूकला)तहसील सावर जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार , सावर तहसील सावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.07.2017 उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, राजस्व वाद संख्या 1555/2017.

उपस्थितः—

1. श्री दिनेश कुमार, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 05.
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—21.11.2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 1555/2017 में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेसपोडेंट/वादीया इंद्रा देवी ने एक वाद संख्या 1555/17 रेस्पोडेंट/प्रतिवादी रामप्यारी, सत्यनारायण, कैलाश, सरकार के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी

में अंतर्गत धारा 88, 89, 92ए, 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दिनांक 24.05.2017 को इस आशय का पेश किया कि ग्राम मेहरूकलां में वाद वर्णित आराजी खसरा नम्बर 489 रकबा 048है. व खसरा नम्बर 155 रकबा 0.48 है. मृतक खातेदार कल्याण पुत्र गोपाल की आराजी है जो कि वादीया एवं प्रतिवादीगण के दादा की आराजी है जिस पर खातेदार घोषित कर आराजी का विभाजन करने, स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने इत्यादि बावत् पेश किया गया। उक्त वाद को अधीनस्थ न्यायालय ने वादीया एवं प्रतिवादीगण के राजीनामें के आधार पर दिनांक 12.07.2017 को राजस्व केम्प में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण को सुनवाई कर अंतिम निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 1555/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर एवं रेस्पोडेन्टस को जारी नोटिस बाद प्रोपर तामील होने के बाद प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर बहस में कथन किया कि विवादित आराजी बाबत माननीय अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण का रेस्पोडेंट के विरूद्ध घोषणात्मक वाद पेश हो रखा है जो विचाराधीन है। उक्त निर्णय के वादपत्र में जानबूझकर अपीलार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय में तथ्य छिपाकर अवैध निर्णय प्राप्त किया गया है अपीलांट पीड़ित पक्षकार है एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। विवादित आराजी के रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से अपीलार्थीगण सदभावी क्रेता है एवं मौके पर कब्जा काश्त है। जिन्हें निर्णय दिनांक 12.07.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की अनुमति दिलाया जाना न्यायोचित है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. अभिभाषक अपीलांट ने तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने विवादित आराजी बाबत अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 241/17 रेस्पोडेंट के विरूद्ध पेश कर रखा है जो विचाराधीन है लेकिन रेस्पोडेंट ने अपीलार्थीगण को उक्त पश्चातवर्ती वाद में पक्षकार नहीं बनाया एवं अधीनस्थ न्यायालय में तथ्य एवं वास्तविकता छिपाकर तथाकथित निर्णय पारित करवाया है जिसकी अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी। अपीलार्थीगण ने पटवारी हल्का मेहरूकलां से दिनांक 25.06.2018 को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर उक्त आक्षेपित निर्णय दिनांक 12.07.2017 की जानकारी हुई। अपीलार्थीगण ने संबंधित नामांतरकरण की नकल दिनांक 10.07.2018 को प्राप्त होने एवं उनवान प्रकरण की जानकारी प्राप्त होने 16.07.2018 को अधीनस्थ न्यायालय से नकले प्राप्त होने पर हुई है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वाद वर्णित आराजीयात ग्राम मेहरूकलां में स्थित आराजी खसरा नम्बर 489 क्षेत्रफल 0.48 हैक्टर एवं ग्राम बालापुरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 155 क्षेत्रफल 0.48 हैक्टर को अपीलांट/प्रार्थीगण के मृतक पिता सोदान, गुल्ला एवं अपीलार्थी संख्या 4 गोपाल ने दिनांक 23.05.1974 को खातेदार मृतक

कल्याण पुत्र गोपाल निवासी मेहरूकलां से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदकर कब्जा काश्त प्राप्त किया था तभी से विवादित आराजीयात पर क्रेता सोदान एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात अपीलार्थी/प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। खातेदार विक्रेता कल्याण पुत्र गोपाल नाओलाद फौत हो चुका है रेस्पोडेंट का विवादित आराजी एवं मृतक कल्याण के परिवार से कोई संबंध सरोकार नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी में पूर्व में दिनांक 16.5.2017 को घोषणा एवं इंद्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 241/2017 बउनवान जगदीश वगैराह बनाम सरकार वगैराह का प्रस्तुत किया गया था जो विचाराधीन है जिसमें तारीख पेशी 27.07.2018 वास्ते रेस्पोडेंट जवाब एवं पावर पेश होने हेतु नियत हो रखी है जिसमें रेस्पोडेंट नम्बर 2 लगायत 4 बतौर प्रतिवादी पक्षकार है जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख पेशी 15.6.2017 केम्प मेहरूकलां के जरिए रजिस्टर्ड डाक सम्मन नोटिस प्रेषित हो रखे थे एवं न्यायालय द्वारा भी लोक अदालत नोटिस जारी हो रखे थे जो रेस्पोडेंट को तामील हो चुके थे। तथा रेस्पोडेंट ने जवाबदावा एवं पावर पेश करने हेतु समय लेते चले आ रहे हैं जिस बाबत तथ्य छिपाया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.07.2017 विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होने एवं धारा 10 जाप्त दीवानी प्रावधान अनुसार निरस्त होने योग्य है। चूंकि समान आराजी एवं समान पक्षकार के मध्य वाद पूर्व से विचाराधीन था तब पश्चातवर्ती वाद की कार्यवाही स्थगित की जानी थी व पूर्व वाद के साथ कन्सोलिडेट किया जाना था। रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण ने नया वाद पेश कर आनन–फानन में मात्र डेढ़ माह की अवधि में आपस में दुरभि संधि कर सम्पूर्ण वाद का बिना किसी दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्य से केवल वाद–पत्र के कथनानुसार व बिना वारिसान सजरा प्रमाणित कराए अंतिम निस्तारण करवा लिया। रेस्पोडेंट/प्रतिवादी ने खातेदार मृतक कल्याण का सजरा केवल वाद–पत्र में अंकन किया है। उक्त सजरा बाबत ग्राम पंचायत मेहरूकलां से प्रमाणित नहीं कराया और न ही खातेदार मृतक कल्याण के वारिस होने बाबत किसी प्रकार की दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य से वाद–पत्र में अंकित सजरा साबित एवं प्रमाणित नहीं करवाया। रेस्पोडेंट/प्रतिवादी एक ही परिवार के आपस में दुरभि संधि कर फोरमल राजीनामा पेश करने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यक्ष दृष्टि बिना दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य के निर्णय पारित कर दिया। रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में घोषणात्मक, विभाजन एवं इंद्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें विभाजन के वाद–पत्र में प्रारम्भिक डिक्री पारित किया जाना मेन्डेटरी होता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पर्चा डिक्री जारी किये अंतिम निर्णय पारित किया है और उक्त निर्णय के आधार पर तहसीलदार, सावर ने पालना करके रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण के नाम नामांतकरण संख्या 2635/23.08.2017 मृतक खातेदार कल्याण के स्थान पर स्वीकृत भी कर दिया। रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण ने अपीलांटस/प्रार्थीगण को अपने वाद में जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया जबकि अपीलांटस/प्रार्थीगण वाद वर्णित आराजी के जरिए रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से सद्भावी क्रेता होकर मौके पर भौतिक रूप से काबिज चले आ रहे हैं तथा अपीलांटस/प्रार्थीगण प्रकरण में आवश्यक पीड़ित पक्षकार है। विशेष तौर से अपीलांटस/प्रार्थीगण का पूर्व से ही वाद वर्णित आराजी का घोषणात्मक इंद्राज दुरूस्ती वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है और वर्तमान में भी विचाराधीन है। इस प्रकार अपीलांटस/प्रार्थीगण को रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण के वाद में किसी भी प्रकार से सुनवाई का अवसर नहीं देकर अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,केकड़ी द्वारा पारित आदेश निर्णय दिनांक 12.07.2017 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि प्रकरण में वे प्रोर्मल पक्षकार है।

8. विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हम सर्वप्रथम धारा 96 जा.दी. का निरतारण करना उचित समझते है। प्रार्थीगण/अपीलांटस का रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध घोषणात्मक वाद पेश हो रखा है जो विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस ने अपने वाद पत्र में अपीलार्थीगण को पक्षकार संयोजित नहीं किया था जबकि अपीलार्थीगण सद्भावी क्रेता है तथा प्रकरण में हितबद्ध, पीड़ित एवं आवश्यक पक्षकार हैं, इसलिए प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. को स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.07.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी/अपीलांट को अनुमति दी जाती है।**

9. तत्पश्चात प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निरतारण करना उचित समझते है। प्रार्थीगण/अपीलांटस को पटवारी हल्का मेहरूकलां से दिनांक 25.06.2018 को राजस्व रेकार्ड जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर उक्त निर्णय दिनांक 12.07.2017 की जानकारी हुई है तथा नामान्तकरण की नकल दिनांक 10.07.2018 को प्राप्त होने एवं उक्त प्रकरण की जानकारी प्राप्त होना दिनांक 16.07.2018 को हुई। प्रार्थना पत्र में अंकित विलम्ब के कारण संतोषजनक होने से तथा मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाते हुए व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए, हम प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार करना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

10. गुणावगुण पर पत्रावलियों का अवलोकन किया गया एवं विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि वाग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 489 रकबा 0.48 है. एवं खसरा नम्बर 155 रकबा 0.48 है. इनके लेकर एक दावा अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 209 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश कर रखा है जो वर्तमान में विचाराधीन हैं। इन्ही खसरा नम्बरों के लेकर एक दावा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी में अन्तर्गत धारा 88,89, 92 ए, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया गया था। रेस्पोडेन्टस द्वारा दावे में अपीलांट को पक्षकार मुर्तिब नहीं कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टस ने आपसी सहमति से दावा का बंटवारा कराया हुआ है। उक्त दावे में अपीलांट पक्षकार नहीं था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि दोनो दावे का एक साथ कन्सोलिडेट करके निर्णय पारित करना चाहिए था तथा खातेदार कल्याण पुत्र गोपाल नाऔलाद फौत हुआ है उनके वारिसान का सजरा प्रमाणित करके उनके विधिक वारिसान को पड़ताल करके ही निर्णय पारित करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

11. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय दिनांक 12.07.2017 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय का इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा संख्या 1555/2017 व

दावा संख्या 241/2017 को कन्सोलिडेट करके अपीलांट को पक्षकार संयोजित करके दावों का साक्ष्य व सुनवाई कर, प्रकरण में तनकीयात कायम कर तनकीयात पर साक्ष्य लेकर दावों का विधि सम्मत निर्णय पुनः पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार दिनांक 15.12.2022 को उपस्थित हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर